बस्तर विश्वविद्यालय,जगदलपुर
(धरमपुरा) जिला–बस्तर (छ0ग0) पिन–494001
exambastar@gmail.com Phone no. - 07782-229215

क्रमांक / 168 / गोपनीय / परीक्षा / 2020 जगदलपुर, दिनांक 14 / 03 / 2020

प्रति,

प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष
समस्त संबंद्ध महाविद्यालय,
(वार्षिक परीक्षा केन्द्र–2020)
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

विषय :– नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमण की रोकथाम एंव नियंत्रण के संबंध में वार्षिक परीक्षा 2020 आयोजन बाबत्।

संदर्भ :– बस्तर वि.वि. का पत्र क्र. / 123 / ब.वि.वि. / सा.प्रशा. / 2020 जगदलपुर, दिनांक 13 / 03 / 2020

–:000:–

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्र. / 65 / आ.उ.शि. / 2020 नवा रायपुर, दिनांक 13 / 03 / 2020 के परिपालन में संदर्भित पत्र में निम्नानुसार आवश्यक संशोधन / निर्देश जारी किया जाता है :–

1. दिनांक 16.03.2020 से 31.03.2020 तक आयोजित होने वाली बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.कॉम / बी.सी.ए. / बी.एस.सी.(गृह विज्ञान) भाग–01,02 (एक, दो) नियमित / स्वाध्यायी / भूतपूर्व / पूरक अंतिम अवसर की परीक्षाएँ स्थगित रहेगी।
2. बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.कॉम / बी.सी.ए. / बी.एस.सी.(गृह विज्ञान) भाग–03 (तीन) की परीक्षाएँ यथावत निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार आयोजित होगी।
3. बी.सी.ए. / बी.एस.सी.(गृह विज्ञान) भाग–03 नियमित / स्वाध्यायी / भूतपूर्व / पूरक अंतिम अवसर के परीक्षार्थियों का केवल पर्यावरण प्रश्न पत्र की परीक्षा स्थगित रहेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा स्थगित परीक्षाओं की समय–सारिणी पृथक से घोषित किया जावेगा। परीक्षार्थी संशोधित समय–सारिणी विश्वविद्यालय के वेबसाईट **www.bvvjdp.ac.in** / महाविद्यालय के माध्यम से प्राप्त कर सकेगें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

आदेशानुसार

कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

पृ. क्रमांक / 169 / गोपनीय / परीक्षा / 2020 जगदलपुर, दिनांक 14 / 03 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया, रायपुर (छ.ग.)।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी द्वितीय तल, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
4. आयुक्त / पुलिस महानिरीक्षक बस्तर संभाग की ओर सूचनार्थ।
5. मान. कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

RR-19

6. कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, सुकमा, बीजापुर, दन्तेवाड़ा, नाराणपुर को सूचनार्थ।
7. पर्यवेक्षक / उड़नदस्ता दल, बस्तर वि.वि. जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त विभाग, बस्तर वि.वि., जगदलपुर की ओर सूचनार्थ ।
9. संपादक, नवभारत / दैनिक भास्कर / देशबंधु / हरिभूमि / नईदुनिया / हाईवे चैनल / दण्डकारण्य / प्रातःइण्डिया / महाकौशल / हिन्दसत् / पत्रिका को इस अनुरोध के साथ कि उक्त समाचार को छात्र हित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10. सूचना पटल में चस्पा।

सहा. कुलसचिव
बस्तर विवविद्यालय, जगदलपुर

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक–03, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 65 / आ.उ.शि. / 2020 नवा रायपुर, दिनांक 13 / 03 / 2020

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय (शासकीय एवं अशासकीय),
छत्तीसगढ़

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय (शासकीय एवं अशासकीय),
छत्तीसगढ़

विषय– नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।
संदर्भः – इस कार्यालय का पत्र क्र. 62–63 / आ.उ.शि. / 2020 दिनांक 12.03.2020

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को 31 मार्च, 2020 तक संस्थाएं बंद रखने एवं वार्षिक परीक्षा संचालित करने का निर्देश जारी किया गया था। उक्त पत्र के तारतम्य में निम्नानुसार अतिरिक्त निर्देश / स्पष्टीकरण जारी किया जाता है: –

(1.) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक भाग एक एवं भाग दो तथा स्नातकोत्तर भाग– I तथा सेमेस्टर पद्धति में सेमेस्टर I, II एवं III की परीक्षाएं भी स्थगित की जाती हैं। केवल स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष / अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं यथावत आयोजित की जावे।

(2.) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा संचालन हेतु समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ नियमित रूप से उपस्थित होंगे। केवल कक्षाओं का संचालन स्थगित रखा जायेगा।

(3.) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टॉफ को अन्य राज्यों एवं देश के बाहर आयोजित होने वाले वर्कशाप / सेमीनार / शोध संगोष्ठी / सम्मेलन / प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने हेतु पूर्व जारी अनुमतियां निरस्त करते हुए आगामी आदेश तक राज्य से बाहर एवं विदेश प्रवास प्रतिबंधित रखा जाये।

(4.) राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी वर्कशाप / सेमीनार / शोध संगोष्ठी आदि का आयोजन स्थगित रखा जावे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित की जावे।

13/3

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 66 / आ.उ.शि. / 2020 नवा रायपुर, दिनांक 13 / 03 / 2020

प्रतिलिपिः –

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
6. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / जगदलपुर / अम्बिकापुर
7. अपर संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।

13/3

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर (छ.ग.)